

प्रेस- नोट
थाना-सीपरी बाजार

दिनांक 31.12.2025

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा धोखाधड़ी, कूटरचना व जालसाजी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया,
- गिरफ्तार अभियुक्त को माठ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुमार कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 31.12.2025 को थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा, थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 461/25 धारा 318(4)/352/351(3)/338/336(3)/340(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त- रवि प्रकाश झा पुत्र जगमोहन झा उम्र करीब 48 वर्ष, निवासी- भारत माता मन्दिर के पास, थाना- सीपरी बाजार, जनपद- झाँसी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माठ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.12.2024 को वादिया श्रीमती सावित्री देवी पत्नी रामसजीवन गुप्ता, निवासी ए-122, दीनदयाल नगर, खाती बाबा, थाना सीपरी बाजार, जिला झाँसी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करके धोखाधड़ी करते हुए वादिया से 10 लाख रुपये हड़प लिए गए व वादिया द्वारा अपने रुपये वापस माँगने पर रुपये न देकर एवं गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 461/25 धारा 318(4)/352/351(3)/338/336(3)/340(2) बीएनएस बनाम 1. रवि प्रकाश झा पुत्र जगमोहन झा 2. श्रीमती गायत्री झा पत्नी रवि प्रकाश झा निवासीगण- भारत माता मन्दिर के पास, थाना- सीपरी बाजार, जनपद- झाँसी 3. मयंक कुशवाहा पुत्र रामचरन निवासी- भाण्डेरी गेट बाहर, नर्सिंग बाबा मन्दिर के पास, थाना- कोतवाली, जनपद- झाँसी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त रवि प्रकाश झा उपरोक्त की वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 31.12.2025 को समय करीब 14.52 बजे राधिका ऑर्चिड के सामने, यात्री प्रतिक्षालय के पास, चौकी क्षेत्र ग्वालियर रोड थाना- सीपरी बाजार, जनपद- झाँसी से गिरफ्तार कर माठ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारी का दिनांक ,समय एवं स्थान:-

राधिका ऑर्चिड के सामने, यात्री प्रतिक्षालय के पास चौकी क्षेत्र ग्वालियर रोड, थाना- सीपरी बाजार, जनपद- झाँसी।

अभियुक्त का विवरण-

रवि प्रकाश झा पुत्र जगमोहन झा निवासी भारत माता मन्दिर के पास थाना सीपरी बाजार झाँसी उम्र करीब 48 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 श्री विनोद कुमार मिश्र, थाना सीपरी बाजार
2. उ0नि0 श्री दिलीप कुमार पाण्डेय (चौकी प्रभारी ग्वालियर रोड),
3. का0 817 अनिल कुमार,
4. का0 896 पुष्पेन्द्र सिंह